

## Government of India भारत सरकार

Ministry of Finance Department of Revenue वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, CGST & CX, BISHNUPUR DIVISION KOLKATA SOUTH COMMISSIONERATE, CENTRAL GST BHAWAN, 180, SHANTIPALLY, RAJDANGA MAIN ROAD, R.B. CONNECTOR (5<sup>TH</sup> FLOOR), KOLKATA-700107

C.No.V(30)6-CGST/Tech/BPD/Kol-South/RTI/2017-18

Dated: 12.10. 2018

3163-65

To Shri Ashwani Prajapati 824-A, Kumharna Dariyabad Allahabad Uttar Pradesh-211003

Sir,

Sub: Furnishing of Information under RTI Act, 2005 – reg.

Please refer to your RTI application dated 07/07/2018 which has been forwarded to this office on 03.10.2018 under Section 6(3) of RTI Act, 2005 by the Assistant Commissioner & CPIO, Kolkata South CGST & CX Commissionerate, Kolkata on the above subject.

There is no records available with this office regarding the desired information.

If you are aggrieved and dissatisfied with the reply, you are at liberty to prefer First Appeal within the stipulated time i.e. 30(thirty) days from receipt of this reply before Shri. Debojit Bose, Additional Commissioner & 1<sup>st</sup> Appellate Authority under RT0 Act, 2005, CGST & CX, Kolkata-South Commissionerate, GST Bhawan, 180 Rajdanga Main Road, Shantipally, Kolkata-700107.

Yours Sincerely,

(Pandiyaraj G.V)

CPIO & Assistant Commissioner CGST & CX,Bishnupur Division,

Kolkata South Commissionerate

Dt. 每.10.2018

C.NO. As above

- Copy forwarded to the CPIO & Deputy Commissioner & CCO, CGST & CX, Kolkata Zone Commissionerate.
- 2. Copy forwarded to the Assistant/Deputy Commissioner & CPIO, CGST & CX, Kolkata South

(Pandiyaraj G.V)

CPIO & Assistant Commissioner CGST & CX,Bishnupur Division, Kolkata South Commissionerate

Frs No. 888242/12018

रेवा में

जन सुचना अधिकारी मुख्य आयुक्त केन्द्री वस्तु एवं सेवाकर मुख्य आयुक्तालय लखनऊ 7-ए अशोक मार्ग - लखनऊ

विषय:— जन सुचना का अधिकर 2005 के तहत सुचना देने के संबन्ध में पत्राचार— महोदय.

आपसे जानना चाहुँगा कि सन् 2017 तक जिन अधिकारी या कर्मचारी ने 3750 / सैतीस सौ पचास रूपये वर्दी के नाम पर पैसा ले कर कितने दिन वर्दी धारण किया है।

अतः आदर्णीय महोदय जी से अनुरोध है कि अब यह भुगतान पाँच हजार रूपये से लेकर दस हजार रूपये लेने के बाद वर्दी पहनेगें। आप को अवगत कराना है कि इलाहाबाद से लेकर आपके अधिनस्थ जितने वर्दी वाले कर्नचारी है क्या कभी वर्दी पहनते हैं मेरा अनुरोध है कि जो स्टाफ वर्दी नहीं पहनता है उसे वर्दी का भुगतान न किया जाय सिर्फ भुगतान उन्हें हो जो वर्दी पहनते है भारत सरकार के धन के दुरउपयोग के समबन्ध में हर अधिकारीगण को जागरूक होना सनिशचित करें।

पाट्ट ले आई ट्रेनिका ट्रांमापी ए अप्रति

भवदीय अशवनी प्रजापति 824-एं, कुमहरना दरियाबाद इलाहाबाद उ०प्र0-211003

प्रतिलिपि – निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सेवा में,

त.अध्यक्ष महोदय (पदेन सचिव) भारत सरकार। — mtf Comf केन्दीय वस्तु एवं सेवा कर बोर्ड —नई दिल्ली

2 सेवा में श्री अरूण जेटली वित्तमंत्री -भारत सरकार -नई दिल्ली

3.सेवा में श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार – नई दिल्ली

पिट अशवनी प्रजापति

Scanned by CamScanner